राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या............1392 / 2015............................ जिला ....भरतपुर...

उनवान : मैसर्स जैना सेफ्टी ग्लास इण्डस्ट्रीज, भरतपुर **बनाम** सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** **श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य**	
01 / 10 / 2015	अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के आदेश क्रमांक अ.प्रा./भरतपुर/2015–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 26.08.2015 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत–प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी के वर्ष 2009–10 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 सपठित वेट अधिनियम की धारा 25, 61 व 55 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 18.06.2015 से सृजित कुल मांग राशि रूपये 1,00,69,680/– की वसूली पर रोक लगाने सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रूपये 73,83,180/– की राशि की वसूली को स्थगित करते हुए शेष राशि की वसूली पर स्थगन से इन्कार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में वसूली योग्य राशि रूपये 26,86,500/– की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री पंकज घीया तथा विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री एन. के. बैद की बहस सुनी गयी। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों के अवलोकन के पश्चात, **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरण में अवशेष बकाया शेष वसूली योग्य बकाया राशि **रूपये 26,86,500/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 1-10-2015 **सदस्य** — **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** — **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** — **अजमेर**	